न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी ::89 / 2017 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2017 / 00277

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
चौलाराम पुत्र मंगाराम, जाति सिरवी निवासी ठाकरवास, तहसील जैतारण जिला पाली।		1. चौथाराम पुत्र घीसाराम 2. छोटाराम पुत्र घीसाराम 3. लालाराम पुत्र घीसाराम 4. प्रभुराम पुत्र घीसाराम जाति सिरवी, निवासी ठाकरवास, तहसील जैतारण, जिला पाली। 5. सायरी पुत्री घीसाराम, पत्नी दीपाराम जाति सिरवी, निवासी काणेचा 6. बाबुलाल पुत्र नन्दाराम 7. हराराम पुत्र डावरराम 8. भगाराम पुत्र लच्छाराम 9. ढगलाराम पुत्र लच्छाराम 10. जीमनबाई बेवा लच्छाराम जाति सिरवी, निवासी ठाकरवास, तहसील जैतारण जिला पाली। 11. मांगुडी पुत्री लच्छाराम पत्नी अशोक कुमार, जाति सिरवी निवासी भाकरवास, तहसील जैतारण। 12. सुराराम पुत्र डावरराम जाति सिरवी, निवासी ठाकरवास, तहसील जैतारण जिला पाली। 13. ग्राम पंचायत बिरोल, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिरोल तहसील जैतारण, जिला पाली।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी
अप्रार्थी की ओर से श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 29/11/21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत बिरोल के पट्टा संख्या 15 जो मिसल संख्या 03/78–79 में जारी आदेश एवं प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 30.7.1981 विरूद्ध प्रस्तुत कर उन्हें निरस्त कराने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर ग्राम पंचायत से रेकर्ड तलब किया गया एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 3.7.1981 को पट्टा संख्या 15 बनाप 2593.50 वर्गफीट का जारी किया गया अप्रार्थीगण को पूर्व में रास्ते व सार्वजनिक चौक का पट्टा जारी किया गया वर्तमान में चौक की भूमी खुली पड़ी है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा अपने पट्टे की भूमी होना बताकर अतिक्रमण कर हस्तान्तरण करने हेतु आमादा है उक्त पट्टे की जानकारी अब होते ही निगरानी निम्न अ[illegible] अप्रार्थीगण को 1296 वर्गफिट का पट्टा जारी करने की पंचायत को[illegible]ति दी गई जिसकी राशि रूप्ये 64.80 तय किए गए एवं [illegible] के द्वारा मिसल संख्या 3/78–79 में पारि[illegible] था लेकिन अप्रार्थी[illegible] जो पट्टा जारी किया गया उसके सम्बन्ध में न [illegible] प्रस्ताव है न आदेश [illegible]स ईस्माइल खां व रामा सरगरा का है एवं ईस्माइ[illegible] खां पौत्र फौत रहीम [illegible] नाम पट्टा जारी है जिसके पट्टा संख्या 4 है तथा पड़ोस दक्षिण में गूजर चौक का पट्टा जारी किया गया है। जो निरस्त फरमाया जावे। जिस आराजी का पट्टा 64.80

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:37:07 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश.....................2

रूपये तय कर जारी किया गया उसका नाप 1296 वर्गफिट था लेकिन पट्टा 1297 फिट अतिरिक्त भूमी का जारी किया गया है जिसकी राशी नहीं ली गई इस वजह से भी पट्टा निरस्त योग्य है एवं 2593.50 वर्गफीट का विक्रय विलेख जारी करने का प्रस्ताव ही नहीं लिया गया था मिसल पंचायत में नहीं होना ग्राम सचिव द्वारा लिख कर दिया गया है ग्राम पंचायत द्वारा मौका नहीं देखा गया जो उपरोक्त नाप चौक से ही स्पष्ट है इसलिए भी पट्टा निरस्त योग्य है। पट्टे सम्बन्धी संपूर्ण कार्यवाही नहीं की गई है। तथा दुर्भिसंधी कर पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है प्रार्थी के भूखण्ड के पूर्व की तरफ रास्ता 20 फीट है जबकि पट्टा जारी किया गया इसमें पूर्व में रास्ता 5 फिट है इस प्रकार सार्वजनिक चौक व रास्ते की भूमी का पट्टा जारी करने का अधिकार पंचायत को नहीं है। इस कारण पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि गूर्जर चौक ग्राम पंचायत के रेकर्ड में नहीं है निगरानी म्याद बाहर है पट्टा 1978–79 में मिसल कायम कर प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 30.7.1981 की पालना में जारी किया गया। इतने समय बाद निगरानी पेश करने का कोई युक्तीयुक्त कारण स्पष्ट नहीं बताया गया है इसलिए निगरानी खारिज योग्य है जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण प्रक्रिया का निर्वहन कर जारी किया गया है इसलिए निगरानी खारिज फरमाई जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया इस निगरानी के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दु 2 है :–

1. क्या उक्त पट्टा गूजर चौक की सार्वजनिक जमीन को मिलकार बनाया गया है ?
2. क्या उक्त पट्टा नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करने के उपरान्त जारी किया गया है ?

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा रहीम बक्श के पट्टा संख्या 4 दिनांक 25.10.1995 पेश की जिसमें रहीम बक्श के पट्टा सुदा भूखण्ड के दक्षिण में पड़ोस गूर्जर चौक बताया गया है। तथा हिम्मत पुत्र विरदा वगैरा का नाम जारी पट्टा संख्या 51 दिनांक 28.5.1963 के उत्तर दिशा में गूर्जर चौक पड़ौस अंकित है। उक्त दोनों पट्टों की प्रतियां पेश की है इनसे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को पट्टा दोनों के मध्य स्थित आराजी गूजर चौक का जारी किया गया है। इस प्रकार सार्वजनिक एवं हिम्मताराम के पट्टे की प्रतियां पेश की गई है। उक्त दोनों पट्टों में गूर्जर चौक का वर्णन है जो एक पट्टे के उतर की तरफ व दूसरा दक्षिण की तरफ है इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को पट्टा दोनों के मध्य स्थित आराजी गूजर चौक का जारी किया गया है इस प्रकार सार्वजनिक चौक का पट्टा जारी किया जाना विधिसम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है।

पट्टा बाबत ग्राम पंचायत बिरोल द्वारा जो प्रस्ताव लिया गया है उक्त प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 30.7.1981 के अनुसार 1296 वर्गफीट आराजी का पट्टा जारी करने बाबत लिया गया है लेकिन पट्टा 2593 वर्गफिट का जारी किया गया है इस प्रकार प्रस्ताव से अधिक लगभग दुगुनी भूमी का पट्टा जारी किया जाना भी विधीसम्मत नहीं है तथा अप्रार्थीगण के हक में जारी जैर निगरानी पट्टा नियम 266 के तहत जारी किया गया है जो रिक्त भूमी का पट्टा है जो पत्रावली संलग्न पट्टे की प्रति से स्पष्ट है जबकि पंचायत राज नियम 266 के तहत नियम 266 क अनुसार निर्मित मकानों के नियमीतीकरण किए जाने का प्रावधान है तथा जैर निगरानी पट्टा पुराने मकान का नियमितीकरण करने हेतु जारी नहीं किया गयास है चौक का किया गया है इस लिए भी जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है।

मिसल के अभाव में अन्य सभी नियमों की पालना के सम्बन्ध में निर्णय किया जाना संभव नहीं है।

परिणामस्वरूप उपरोक्त समी[illegible] के मध्येनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंच[illegible] बि[illegible] के पट्टा संख्या 15 मिसल संख्या 3/1978–79 व प्रस्ताव [illegible]न सभी को निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:37:07 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 29/11/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Ansh
(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली